

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक :एफ 10(क)(न.पा.)(सीमा वृद्धि)()/डीएलबी/18/2075

दिनांक. 31.08.18

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप धारा (8) के खण्ड (ग) तथा सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा नगर परिषद बाडमेर की वर्तमान सीमा क्षेत्र में राजस्व क्षेत्र बाडमेर ग्रामीण (बाडमेर शहर का शेष ग्रामीण राजस्व क्षेत्र), बाडमेर आगौर, बाडमेर गादान तथा बाडमेर मगरा राजस्व ग्राम की वर्तमान सीमाओं को सम्मिलित किया जाता है ।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: एफ 10(क)(न.पा.)(सीमा वृद्धि)()/डीएलबी/18/2076-2236 दिनांक.31/8/18
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज. सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग/पंचायत राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर।
8. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
9. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
10. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर समस्त राजस्थान।
11. जिला कलेक्टर, बाडमेर।
12. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज0 जयपुर।
13. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय लेखन एवं मुद्राणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतियाँ उपलब्ध कराये जाने हेतु।
14. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय।
15. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
16. सरपंच/सचिव, राजस्व ग्राम बाडमेर आगौर, बाडमेर गौदान, बाडमेर मगरा, बाडमेर ग्रामीण।
17. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
18. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी